उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या ___ /VII-3-20/146–एम0एस0एम0ई0/2013 टी.सी. 03
देहरादून, दिनांक 08 सितम्बर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंशोधित–2016, 2018 व 2019) तथा उसमें प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए **शासन की अधिसूचना दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 से प्रख्यापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015 में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का.आ.1702(अ) दिनांक 01 जून, 2020** द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा परिवर्तन के अनुरूप उक्त नीति व क्रियान्वयन आदेश के परिभाषा शीर्षक में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति तथा क्रियान्वयन आदेश–2015 में परिभाषा शीर्षक में स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये प्राविधान रख दिये जायेंगे अर्थात्:–

स्तम्भ–1			स्तम्भ–2	
वर्तमान प्राविधान			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान	
II	विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमः–		(क)	सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पांच करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है।
	(क)	एक **सूक्ष्म उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक न हो।		
	(ख)	एक **लघु उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो, या	(ख)	लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है।
	(ग)	एक **मध्यम उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपए से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक न हो।	(ग)	मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में पचास करोड़ रूपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार दो सौ पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है।
III	सेवा प्रदाता उद्यमः–			
	(क)	एक ऐसे **सूक्ष्म उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपये से अधिक न हो,		
	(ख)	एक ऐसे **लघु उद्यम** के रूप में जहां		

34 नि- 3(D)

निदेशक उद्योग

		उपकरण में विनिधान दस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु दो करोड़ रूपये से अधिक न हो, या		
	(ग)	एक ऐसे **मध्यम उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दो करोड़ रूपये से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो।		

3. उक्त संशोधित नीति की नयी परिभाषा 01 जुलाई, 2020 से लागू मानी जायेगी।

4. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश–2015 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। नीति में शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 1621 (1)/VII-3-20/146–एम0एस0एम0ई0/2013 टी.सी. 03, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. मुख्य निवेश आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड को उद्योग निदेशालय के माध्यम से।
11. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वे कार्यालय–ज्ञाप को साधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।